राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़
GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE JHALAWAR
(An Autonomous Institution of Government of Rajasthan)
Village Chandlai, Sunel Road, Teh. Jhalrapatan, Distt. Jhalawar -326001(Rajasthan)
Telfax.No.+91-07432-242814(O)242812, Email:govtecj@gmail.com, Website: www.gecj.ac.in

Ref. No. GECJ/18-19/ 598 Date: 31-07-18

महाविद्यालय मे केन्टीन सेवा उपलब्ध कराने हेतु सीमित निविदा

महाविद्यालय परिसर में केन्टीन संचालन हेतु सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म महाविद्यालय कार्यलय में कार्य दिवस पर प्रातः 10:00 बजे से 4:00 बजे तक दिनांक 16/8/18 तक जमा करा सकते है। प्राप्त निविदाए दिनांक 17/8/18 को 11:30 बजे खोली जाएगी।
निविदा प्रपत्र राजकीय अभियान्त्रिकी महाविद्यालय झालावाड़ की वेब साईट www.gecj.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

Sharad N 31/7/18
प्राचार्य

# राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़

ग्रामः चन्दलाई, सुनेल रोड, तहसीलः झालरापाटन, जिलाः झालावाड़ (राज.) पिन कोड़: 326023

टेलीफैक्स नम्बरः 07432.242814 फोन न. 07432–242812 बेवसाइटः www.gecj.ac.in


निविदा संख्या.................................................................... दिनांक ......./ ......../20......

## महाविद्यालय मे केन्टीन सेवा उपलब्ध कराने हेतु सीमित प्रपत्र

1- निविदादाता का नाम :..................................................................

2- निविदादाता का पता :...........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

निविदादाता का फोन न. :..................................................................

3- मेरे नाम पर निविदा स्वीकृत होने पर प्रस्तावित मासिक किराये के आधार पर प्रत्येक 03 माह का अग्रिम किराया राशि जमा करवा दूगा । इसके अलावा प्रत्येक माह का बिजली/पानी उसी माह की 10 तारीख तक जमा करवा दूगा।

4- यह अनुबंध दर 01 वर्ष के लिये प्रभावित है । इस अवधि में पारस्परिक सहमति से अभिवृद्धि की जा सकती है।

5- निविदादाता द्वारा दस्तावेज की प्रतिलिपि संग्लन किये जाते है।

(i) खाद्य वस्तु विक्रय पंजीयन .....................................

(ii) पेन कार्ड .....................................

(iii) जीएसटी .....................................

(iv) अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो तो )

| क. सं. | संस्थान नाम | अवधि (दिनांक से दिनांक तक) | अनुभव अवधि (वर्ष/माह) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

6- निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तो को पढ़कर हस्ताक्षर कर दिये है इनका पालन करने के लिए सहमत हूँ तथा पालन करूंगा ।

दिनांक : (हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

## अनुबंध आधार पर केन्टीन सेवा उपलब्ध कराने हेतु निविदा शर्ते

1. निम्नलिखित शर्तो में संस्थान का अर्थ राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयए झालावाड़ समझा जाए एवं केन्टीन संचालन करने वाली फर्म /ठेकेदार को संस्था कहा जायेगा।
2. निविदा महाविद्यालय द्वारा जारी किये गये निर्धारित प्रपत्र एवं निर्धारित दरों के अनुरूप ही स्वीकार की जायेगी।
3. निविदा उचित रूप से सील बंद लिफाफे में ही स्वीकार की जायेगी एवं लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में **"केन्टीन संचालन हेतु निविदा"** अंकित होना चाहिये।
4. महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदायें स्वीकार नही की जायेगी ।
5. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ नियम 7 राजस्थान खाद्य नियम 1957 के अन्तर्गत खाद्य अनुज्ञा पत्र प्रपत्र (ब) सलंग्न करना होगा इसके अभाव में निविदा स्वीकार नही की जायगी।
6. निविदादाता को निविदा भरने के लिए निविदादाता संस्था द्वारा खाद्य वस्तु पंजीयन, जीएसटी पंजीयन, पेन कार्ड तथा निविदा की शर्तो के अनुरूप अन्य दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है। इनके बिना निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
7. महाविद्यालय प्रशासन बिना कारण बताये निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत होगा ।
8. निविदादाता को निविदा प्रपत्र एवं शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है एवं जो दरें अंकित की गई है वे अनुबंध होने की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगी इस अवधि को आपसी सहमति से बढाया जा सकेगा।
9. **अनुभवः** निविदादाता संस्था को केन्टीन चलाने का यदि अनुभव हो तो अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करे।
10. दो या दो से अधिक फर्मो द्वारा समान किराया राशि प्रेषित करने पर निम्न आधार पर सफल निविदा का चयन किया जायेगा ।

    (अ) अनुभव: जिस फर्म का अधिक अनुभव हो।

    (ब) यदि फर्म का अनुभव समान है तो सफल निविदा का चयन लौटरी द्वारा किया जायेगा।
11. **केन्टिन न्यूनतम किराया** : केन्टिन का न्यूनतम किराया प्रतिमाह 5300/– रूपये से अधिक किराया प्रतिमाह चुकाने वाली एवं निविदा की सभी शर्ते संतुष्ट करने वाली फर्म की निविदा पर ही विचार किया जायेगा।
12. **अग्रिम भवन किराया** : सफल निविदादाता द्वारा निविदादाता को प्रत्येक 03 माह का अग्रिम भवन किराया राशि महाविद्यालय में जमा करवाना होगा। अग्रिम भवन किराया जमा नही करवाने की स्थिति मे महाविद्यालय 7 दिवस का नोटिस देकर केन्टीन परिसर खाली करवा लिया जायेगा ।
13. **कार्य अवधि :** इस निविदा के माध्यम से समस्त कार्य करवाने की अवधि कार्य आरम्भ होने से 01 वर्ष के लिये ठेके के अनुबंध पर होगी। एक वर्ष बाद अनुबंध के नवीनीकरण पर विचार सम्भव है ।
14. **अनुबंध –पत्र एवं किराया नामा :** सफल निविदादातां द्वारा निविदादाता को आदेश प्राप्त होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर प्रथक- प्रथक रुप से रू 100/– के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध –पत्र एवं किराया नामा निष्पादन करना होगा एव जिस कार्य के लिए निविदाऐं स्वीकार की गई है।
15. सफल निविदादाता की दरें अनुमोदन होने के पश्चात् कार्य आदेश तिथि से 10 दिवस में सम्बन्धित सेवायें उपलब्ध करानी होगीं ।
16. निविदादाता संस्था द्वारा सेवा के दौरान यदि किसी प्रकार की हानि होती हो तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता संस्था का होगा ।

17. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जानां आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (संस्था/ठेकेदार) द्वारा झालावाड़ में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र नहीं ।

18. अनुबंध की शर्तो तथा किसी अन्य संबन्धित मामलों में संस्थान का निर्णय अंतिम व मान्य होगा ।

19. **बिजली/पानी का भुगतानः** केन्टीन संचालन का प्रत्येक माह का बिजली/पानी का भुगतान उसी माह की 10 तारीख से पूर्व प्रार्थना पत्र. के साथ (तीन प्रतियों में) प्रतिमाह महाविद्यालय के लेखा शाखा मे जमा करवाना होगा। बिजली/पानी का भुगतान एकाउंट पेयी चैक निविदाता संस्था द्वारा महाविद्यालय के लेखा शाखा मे जमा कराया जावेगा। यदि निश्चित दिनांक पर बिजली/पानी राशि महाविद्यालय में जमा नही कराने पर अनुबंध पत्र का उलंघन माना जायेगा व महाविद्यालय 7 दिवस का नोटिस देकर केन्टीन परिसर खाली करने का आदेश देगा।

20. **अवकाश रखने की स्थिति** : निविदादाता संस्था द्वारा केन्टीन संचालन को स्वयं की इच्छा से (दिपावली, होली, शीत–कालीन, ग्रीष्म–कालीन एवं अन्य राजपत्रित अवकाशो पर) कैंटीन के संचालन को बंद नही रखेगा।

21. **निर्धारित नुकसान वस्तुः** निविदादाता संस्था द्वारा महाविद्यालय से आवंटित भवन/फर्निचर , पंखे, ट्यूबलाईट एवं अन्य उपकरणों एवं सामनो की सुरक्षा की जिम्मेदारी संस्था की होगी। उक्त सामग्री की टूट–फूट एवं गायब होने की स्थिति में भरपाई संस्था द्वारा की जायेगी।

22. महाविद्यालय की केन्टीन परिसर/फर्नीचर व उपकरण एवं भवन की साफ सफाई एव सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदादाता संस्था की होगी। निविदादाता संस्था द्वारा कचरा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित स्थान पर डाला जायेगा।

23. निविदादाता संस्था द्वारा केन्टीन परिसर के अतिरिक्त अन्य स्थल का उपयोग नही किया जायेगा व महाविद्यालय को उक्त परिसर/भवन को किसी भी कार्य में लेने का अधिकार सुरक्षित होगा व आवश्यकता होने पर एक माह का नोटिस देकर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा केन्टीन परिसर/भवन को खाली कराने का अधिकार होगा जिसके लिये संस्था किसी न्यायालय में वाद दायर नहीं करेगा व महाविद्यालय के आदेश की पालना करेगा। संस्था अन्तर्गत कार्य कर रहे सेवाकर्मियें की किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी निविदादाता संस्था की होगी

24. **केन्टीन कार्मिक** : निविदादाता संस्था द्वारा केन्टीन संचालन में लगाये गये कार्मिको के वेतन भत्ते, बीमा एवं कर्मचारी भविष्य निधि मेडिकल सुविधा ठेकाश्रम अधिनियम 1970–71 के नियम 25 (1) अन्तर्गत पंजियन एवं सुविधाऐ इसके अतिरिक्त श्रम विभाग में जारी नियमों उपनियमों की पालना एवं समस्त जिम्मेदारी निविदादाता संस्था की होगी । महाविद्यालय किसी भी प्रकार से वाद–विवाद के दायरे में नही आयेगा। व उपरोक्त कर्मचारी महाविद्यालय के नहीं माने जायेगें।

25. **केन्टीन कार्मिक ड्रेस एवं अन्य नियम** : निविदादाता संस्था द्वारा केन्टीन में रखे गये कार्मिको को निर्धारित ड्रेस उपलब्ध करवायी जायेगी। प्रत्येक केन्टीन कार्मिक को निविदादाता संस्था द्वारा पहचान पत्र मय कलर फॉटोग्राफ जारी किया जायेगा। जिसे प्रत्येक कर्मचारी द्वारा अपने शर्ट/साडी/कुर्ते पर लगाना होगा।

26. केन्टीन में खादय एवं पेय प्रदार्थ बनाने की कच्ची सामग्री, ईधन व इन्हे बनाने हेतु अन्य उपकरण व सुविधाए निविदादाता संस्था को करनी होगी । कच्ची सामग्री की जांच महाविद्यालय प्रशासन एवं नियुक्त प्रतिनिधि/समिति के द्वारा कभी भी समय की जा सकेगी । कच्ची सामग्री के गुणवतापूर्ण नहीं पाये जाने पर समिति की अभिशांक्षा कर जुर्माना/करार प्रत्र समाप्त करने का अधिकार महाविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित होगा।

27. **चाय/नाश्ता/भोजन व्यवस्था** : महाविद्यालय के केन्टीन में खादय एवं पेय प्रदार्थो की दरें महाविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित समिति से स्वीकृत करवाने के बाद ही छात्र/छात्राओं व संस्थान के स्टाफ/अतिथि को सामग्री उपलब्ध करानी होगी। खाद्य सामग्री की सूची व दर केन्टीन परिसर के नोटिस बोर्ड पर हमेशा लगाई रखनी होगी। पैकिंग खादय सामग्री की किमत MRP दर से ज्यादा नही होगी । खाद्य सामग्री केन्टीन में तैयार की जाएगी उसकी मात्राए गुणवत्ता (खाद्य सामग्री ब्रांडेड) होनी चाहिए ।

28. **केन्टिन संचालन की समयावधि** : केन्टिन संचालक द्वारा महाविद्यालय में केन्टिन संचालन का कार्य प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक संचालित करना होगा। यदि केन्टिन संचालक चाहे तो महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुमति लेकर 24 घंटे तक केन्टिन को संचालित कर सकता है।

29. निविदादाता संस्था/ठेकेदार को जिस स्थिति में भवन दिया जायेगा उसी स्थिति में टेन्डर पूरा होने / बीच में छोडने पर वापस उसी स्थिति में देना होगा।

नोटः– उपरोक्त केन्टीन संचालन से संबंधित शर्ते मैने पढ ली हैं एंव यह शर्ते मुझे स्वीकार है।

दिनांक :

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

## केन्टीन संचालन की निविदा हेतु विवरण

निविदा संख्या.......................................

दिनांक ......... / .......... / 20......

| क्र. सं. | उपलब्ध करवाये जाने वाली सेवा का व्यय विवरण | अधिकतम किराया राशि रूपये प्रतिमाह ( न्यूनतम किराया राशि 5300/– प्रतिमाह) |
|---|---|---|
| 1. | केन्टीन परिसर/भवन का मासिक किराया | |

दिनांक :

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

स्थान :